सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 15, मंगलवार, *शाके 1946*-अगस्त 06, *2024* *Sravana 15, Tuesday, Saka 1946- August 06, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2024

जी.एस.आर.20 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 का संशोधन. – राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 6 के उप-नियम (1) में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) चयन वेतनमान पद:-

(क) उप-सचिव

(ख) मुख्य खेल अधिकारी" ; और

(ii) खण्ड (iii) के विद्यमान उप-खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खंड (च) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(च) वरिष्ठ खेल अधिकारी।"

3. नियम 7 का संशोधन. – उक्त नियम के विद्यमान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"7. भर्ती का स्रोत: – सेवा में भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी:-

(i) वरिष्ठ उप-सचिव का पद, सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा में के अनुभव को सम्मिलित करते हुए कुल मिलाकर 30 वर्ष की सेवा का अनुभव रखने वाले सचिवालय के उप-सचिवों में से, 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(ii) उप-सचिव का पद, सचिवालय के सहायक सचिवों/ रजिस्ट्रार और निजी सचिवों में से, 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(iii) सहायक सचिव का पद, अनुभाग अधिकारी के पद पर तीन वर्ष या अधिक की कालावधि के लिए कार्य करने का अनुभव रखने वाले सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों में से, 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(iv) अनुभाग अधिकारियों के पद, सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर दो वर्ष या अधिक की कालावधि के लिए कार्य करने का अनुभव रखने वाले, सचिवालय के सहायक अनुभाग अधिकारियों में से, 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(v) निजी सचिव का पद, अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर तीन वर्ष या अधिक की कालावधि के लिए कार्य करने का अनुभव रखने वाले सचिवालय के अतिरिक्त निजी सचिव में से, 100% पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(vi) चिकित्सा अधिकारी का पद, नियम 10 के खण्ड (ii) के उप-खण्ड (ख) के अधीन गठित किसी समिति द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गये, नियमित रूप से चयनित चिकित्सा अधिकारी के पैनल में से भरा जायेगा।

(vii) मुख्य खेल अधिकारी का पद, वरिष्ठ खेल अधिकारी के पद पर तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ खेल अधिकारी के पद पर कार्यरत व्यक्तियों में से, 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(viii) वरिष्ठ खेल अधिकारी का पद, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 से संलग्न अनुसूची के शीर्ष **शासन सचिवालय अनुभाग** के अधीन उल्लिखित खेल अधिकारी के पद पर तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले खेल अधिकारी के पद पर कार्यरत व्यक्तियों में से, 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।"

4. नियम 10 का संशोधन. – उक्त नियमों के नियम 10 के विद्यमान खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, चिकित्सा अधिकारी, मुख्य खेल अधिकारी और वरिष्ठ खेल अधिकारी के पदों पर चयन, निम्नानुसार गठित समितियों द्वारा किया जायेगा:-

(क) अनुभाग अधिकारियों, निजी सचिवों, मुख्य खेल अधिकारी और वरिष्ठ खेल अधिकारी के पद के लिए:-

1.	आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उसका कोई सदस्य	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो शासन सचिव की रैंक से नीचे का ना हो।	सदस्य
3.	कार्मिक विभाग का शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो राजस्थान सचिवालय सेवा का ना हो व शासन उप-सचिव की रैंक से नीचे का ना हो।	सदस्य-सचिव

(ख) चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए:-

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग; और

2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।

समिति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गये नियमित रूप से चयनित चिकित्सा अधिकारियों के पैनल पर विचार करेगी और पैनल में से उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी का चयन करेगी। इस प्रकार चयनित चिकित्सा अधिकारी के पास, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में यथा विनिर्दिष्ट समस्त अर्हताएं एवं पात्रता होंगी और वेतन पुनरीक्षण, एसीपी आदि जैसे समस्त फायदे उसे, सचिवालय में पद धारित करने के दौरान उपलब्ध होंगे।"

[सं. एफ. 1(10) **डीओपी/ए**–II/86]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, August 05, 2024

G.S.R.20 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Secretariat Service (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 6.- In sub-rule (1) of rule 6 of the Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) the existing clause (ii) shall be substituted by the following, namely:-

"(ii) Selection Scale Post:-
(a) Deputy Secretary
(b) Chief Sports Officer"; and

(ii) after the existing sub-clause (e) of the clause (iii), the following new sub-clause (f) shall be added, namely:-

"(f) Senior Sports Officer."

3. **Amendment of rule 7.-** The existing rule 7 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"7. **Source of recruitment.-** Recruitment to the service shall be made in the following manner:-

(i) The post of Senior Deputy Secretary shall be filled in by 100% promotion from Deputy Secretaries of the Secretariat having experience of 30 years' service in all including Secretariat Ministerial Service.

(ii) The post of Deputy Secretary shall be filled in by 100% promotion from Assistant Secretaries/Registrar and Private Secretaries of the Secretariat.

(iii) The post of Assistant Secretary shall be filled in by 100% promotion from Section Officers of the Secretariat having experience of working on the post of Section Officer for a period of three years or more.

(iv) The post of Section Officers shall be filled in by 100% promotion from Assistant Section Officers of the Secretariat having experience of working on the post of Assistant Section Officer for a period of two years or more.

(v) The post of Private Secretary shall be filled in by 100% promotion from Additional Private Secretary of the Secretariat as having experience of working on the post of Additional Private Secretary for a period of three years or more.

(vi) The post of Medical Officer shall be filled up from amongst the panel of regularly selected Medical Officer sent by the Medical and Health Department, by a Committee constituted under sub-clause (b) of clause (ii) of rule 10.

(vii) The post of Chief Sports Officer shall be filled in by 100% promotion from the persons working on the post of Senior Sports Officer having experience of three years on the post of Senior Sports Officer.

(viii) The post of Senior Sports Officer shall be filled in by 100% promotion from the persons working on the post of Sports Officer having experience of three years on the post of Sports Officer mentioned under the heading Government Secretariat Section of the Schedule appended to the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 2001."

4. **Amendment of rule 10.-** The existing clause (ii) of rule 10 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"(ii) Selection to the posts of Section Officer, Private Secretary, Medical Officer, Chief Sports Officer and Senior Sports Officer shall be made by the Committees constituted as under:-

(a) For the post of Section Officers, Private Secretaries, Chief Sports Officer and Senior Sports Officer:-

1.	Chairman of the Commission or a member thereof nominated by him	Chairman
2.	Chief Secretary or his nominee, not below the rank of Secretary to the Government	Member
3.	Secretary to the Government in the Department of Personnel or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government in the Department of Personnel not belonging to Rajasthan Secretariat Service	Member-Secretary

(b) For the post of Medical Officer:-

1. Principal Secretary to the Government, Department of Personnel; and
2. Principal Secretary to the Government, Medical and Health.

The Committee shall consider the panel of regularly selected Medical Officers sent by the Medical and Health Department and select a suitable Medical Officer from the panel. The Medical Officer so selected shall have all the qualifications and eligibility, as specified in the Rajasthan Medical and Health Service Rules, 1963 and all the benefits of like pay-revision, ACP etc. shall be available to him during the holding of post in the Secretariat."

[No. F.1(10)DOP/A-II/ 86]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.